

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>रामेश्वरसिंह गहलोत बनाम लो.सू.अ. ( तहसीलदार जोधपुर )</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 55/2019</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>15.05.19</p>	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी रामेश्वरसिंह गहलोत, पता मायली मण्डावता मण्डोर रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 21.02.19 में उसके द्वारा (1) ग्राम मण्डोर द्वितीय के खसरा नम्बर 785/ 786 का भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा दिनांक 06.08.2009 व 17.09.2013 को राजस्व विभाग व भू.प्र. सहयोग से किया गया जिसमें गै.मु. पाल व बाले की जमीन पर अतिक्रमण नहीं पाया गया। पत्र क्रमांक भू.अ. /14/4256 दिनांक 27.06.14 है, से संबंधित चार प्रतियां में सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. (तहसीलदार जोधपुर ) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी ( तहसीलदार जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना रिकॉर्ड पर उपलब्ध होने पर प्रार्थी को 15 दिवस में सूचना उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया. गया।</p>	